न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4987/2005/बून्दी

1– गौरीशंकर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मढ़ाभाउ तहसील व जिला धौलपुर।

.....**अपीलांट**

बनाम

1– मेवाराम पुत्र दौलतराम जाति कुम्हार,
2– गनपति पुत्र नहने जाति कुम्हार,
3– भंवरा पुत्र नहने जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम मढ़ाभाउ तहसील व जिला धौलपुर।
4– राजस्थान सरकार।

..... रैस्पोडेंटान

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री समीर अहमद, अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1 ल0 3

निर्णय

दिनांक : 17–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 15–09–2005 अपील सं0 130/2002 बउनवानी गौरीशंकर बनाम मेवाराम के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 525 पुराना (नया ख0 नं0 640) में से 3 बीघा भूमि वाके ग्राम मढ़ाभाउ तहसील धौलपुर बाबत प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष पेश किया जिन्होंने वाद दर्ज रजिस्टर कर दोनों पक्षों को सुनते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर दिनांक 18–11–2002 को दावा वादी खारिज कर दिया जिस निर्णय

व डिक्री के विरूद्व अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–9–2005 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 15–9–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 525 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा मे से 3 बीघा भूमि का अपीलांट को दिनांक 7–7–1973 को आवंटन सलाहकार समिति द्धारा आवंटन किया गया है एवं वादग्रस्त आराजी का कब्जा भी मौके पर अपीलांट को दिया गया तभी से अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलांट ने अपने वाद के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक दस्तावेजात/रेकार्ड भी प्रस्तुत किये थे। सभी दस्तोवजात व रेकार्ड से वादी का वाद पूर्णतया साबित था। अपीलांट द्धारा अपने समर्थन में सभी तनकीयों को साबित किया गया था किन्तु दोनों न्यायालयों द्वारा उक्त सभी दस्तावेजात पर कोई गौर नहीं कर त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है वादग्रस्त आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट को कभी भी आवंटित नहीं हुई और न ही उन्हें कब्जा दिया गया। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18–11–2002 में माना कि वादी अपना वादपत्र सिद्व करने में असफल रहा है। अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। उक्त निर्णय का विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–9–2005 से समर्थन करते हुए अपील अपीलांट साक्ष्यों से सिद्व नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखी जाती है।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 640/3 रकबा 2 बीघा एवं 640/4 रकबा 1 बीघा राजस्व रेकार्ड आवंटन आदेश दिनांक 26–9–1978 में गनपति, भंवरा पि0 नहने महतर को तथा ख0 नं0 640/4 मेवाराम को आवंटित है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा अपीलांट सामान्य जाति का व्यक्ति है। वादी/अपीलांट द्वारा न तो विचारण/अपीलीय न्यायालय में तथा न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई आवंटन संबंधी रेकार्ड प्रस्तुत किये जिससे यह जाहिर होता हो कि उसे वादग्रस्त आराजी आवंटित हुई हो तथा वादग्रस्त आराजी पर उसे कब्जा दिया गया हो। केवल आवंटन कार्यवाही रजिस्टर से अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का किसी भी सूरत में खातेदार सिद्व नहीं होना माना जा सकता है जबकि रेस्पोडेन्ट की ओर से जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044–47 प्रस्तुत की है जिसमें रेस्पो0 को उक्त भूमि के आवंटी व खातेदार दर्ज किया हुआ है एवं मौका रिपोर्ट से भी अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पो0 जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार बखूबी सिद्व होते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिनमें हम किसी प्रकार की कोई वैद्यानिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–9–2005 तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–11–2002 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य